

न्यायालय: सिविल जज (ज०डि०), जलेश्वर, एटा।

केस संख्या- 114 /2)20

उ०प्र० राज्य

-बनाम-

सोनू उर्फ गजेन्द्र

धारा: 363, 366, 368 भा.द.सं.

अ०सं०: 117/2019

थाना अवागढ़, जिला एटा।

24-11-2020

प्रभारी निरीक्षक अवागढ़ एटा की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी श्री वीरगाल पुत्र खूबचन्द्र निवासी ग्राम मीसाखुर्द, थाना अवागढ़, जिला एटा द्वारा दिनांक 05.06.2019 को अपराध संख्या 117/2019 धारा 363, 366 भा.द.सं. व 8 पोक्सो एक्ट बनाम 1- रामू पुत्र सन्तोष, 2- गोलू उर्फ गौरव पुत्र शशिवान्त, 3- भूरे उर्फ भूपेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र के विरुद्ध कु० प्रभा पुत्री वीरपाल उम्री 17 वर्षीय को बहला कुसलाकर अपहरण कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था जिसकी प्रारम्भिक विवेचना उ०नि० श्री प्रेमकुमार गौतम द्वारा सम्पादित की गयी तत्पश्चात् दिनांक 20.07.2019 को अभियोग की विवेचना उ०नि० श्री रमेश चन्द्र गौतम द्वारा ग्रहण की गयी तथा विवेचना के दौरान गिरिशचन्द्र पुत्र परमलाल, सोनू उर्फ गजेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र निवासीगण मीसाखुर्द थाना अवागढ़ एटा व अशोक कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी न्यू हल्द्वानी कालोनी थाना ईको टेक-3 जिला गैतमबुद्ध नगर के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्त गिरिशचन्द्र पुत्र परमलाल दिनांक 01.10.2019 को व सोनू उर्फ गजेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र दिनांक 11.12.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजे गये तथा अभियोग में अभियुक्त गिरिशचन्द्र के विरुद्ध धारा 368 भादवि की वृद्धि व 8 पोक्सो एक्ट का लोप किया गया है। अभियुक्त गिरिशचन्द्र के विरुद्ध धारा 368 भादवि में आरोप पत्र संख्या 187/2019 दिनांक 25.12.2019 को अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र के विरुद्ध धारा 363, 366, 368 भादवि में आरोप पत्र संख्या-187 ए/2019 दिनांक 04.02.2020 को कित्ता कर माननीय न्यायालय इधित किया गया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त सोनू, गोलू उर्फ गौरव, भूरे सिंह उर्फ भूपेन्द्र

*Self Attested*  
*Shradha Devi*  
*17.08.21*

व अशोक कुमार के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रही। तत्पश्चात् अभियोग की विवेचना दिनांक 03.11.2020 को उ०नि० श्री भवानीशंकर शर्मा द्वारा ग्रहण की गयी तथा विवेचना के मध्य अभियुक्त संजीव उर्फ संदीप पुत्र कान्ती कुशवाहा व प्रेमपाल पुत्र श्रीनिवास निवासीगण जलालपुर थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथरस के नाम प्रकाश में आये जिनको दिनांक 11.11.2020 को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किये गये अभियुक्त संजीव उर्फ संदीप व प्रेमपाल ने घटना का इकबाल करते हुये कु० प्रभा को टेलीफोन से वार्ता कर अवागढ़ बुलाकर मो०सा० से अपहरण कर ले जाना तथा अपहृता के साथ अभियुक्त संजीव उर्फ संदीप द्वारा दुष्कर्म करने के बाद सहअभियुक्त प्रेमपाल द्वारा भी दुष्कर्म करने का प्रयास करने पर पीड़िता के विरोध करने व चिहाने पर अंगोछा से गला दबाकर हत्या कर देना बताया। अभियुक्तगण की निशादेही पर अपहरण की घटना में प्रयुक्त मो०सा० व हत्या में प्रयुक्त अंगोछा व मृतिका की एक चप्पल बरामद की गयी है तथा अभियुक्त संजीव उर्फ संदीप व प्रेमपाल के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 डी, 302, 201, 34 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का आरोप प्रमणित होने पर आरोप पत्र संख्या 187 बी/ 2019 दिनांक 20.11.2020 को भित्त किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना से वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किये गये अभियुक्त 1- रामू उर्फ सन्तोष 2- गोलू उर्फ गौरव पुत्र शशिकान्त 3- भूरे उर्फ भूपेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र निवासीगण मीसाखुर्द थाना अवागढ़ एटा व पूर्व में प्रकाश में आये अभियुक्त - गिरिशचन्द्र पुत्र परमलाल 2- सोनू उर्फ गजेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र निवासीगण मीसाखुर्द थाना अवागढ़ एटा व 3- अशोक कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी नू, हल्द्वान कालोनी थाना इकोटेक जिला गौतमबुद्ध नगर की उक्त अपराध में संलिप्तता नहीं पायी गयी है। आः उक्त अपराध में पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द्र निवासी मीसाखुर्द थाना अवागढ़ जिला एटा की उक्त अपराध में संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र का वारंट निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा से अवमुक्त करने की वृत्ता करें।

सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियोजन अधिकारी द्वारा सबमिट किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र की संलिप्तता इस अपराध में नहीं पयी गयी है। अतः इस आधार पर यह प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र का वारण्ट निरस्त किया जाता है। अभियुक्त सोनू उर्फ गजेन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वह मुबं 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग न्यायालय को प्रस्तुत करेगा कि यदि भविष्य में इस मामले में कोई कार्यवाही अमल में लायी जाती है तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर पारित आदेशों का पालन करेगा।

श्री. गजेन्द्र यादव अन्ध क्रिमि मामले में वादित है जो सोनू उर्फ गजेन्द्र से आवेदन अयमुक्त किया गया है।

जिला कोरगाँव से आवेदन अयमुक्त किया गया है।

जेलीसर, एटा

17.08.11